न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 158/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 02.07.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

श्रीमती सुनीता बेवा स्व0 सत्यनारायण जाति मीना निवासी ग्राम रोण, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

1. कस्तूर चंद आत्मज श्री किशनलाल जाति मीना, निवासी ग्राम रोण तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपलदा, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री बलराम शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
श्री रघुवीर गौड़, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र.2

::निर्णय::

दिनांक 27.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 40/2023 (अपील) बउनवान कस्तूरचंद बनाम सुनिता वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र.1 कस्तूरचंद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 528 दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैरअपील नामांतरकरण सं0 528 दिनांक 09.06.2017 वाके ग्राम रोण पटवार मण्डल शहनावदा तहसील पीपल्दा निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा को उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्णय दिनांक 07.06.2024 से प्रतिप्रेषित किया गया।

27/5/2025
अति. सं. आयुक्त

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.06.2024 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया गया कि ग्राम रोण तहसील पीपल्दा में खसरा संख्या 44 की 0.52 है0 व खसरा सं0 47 की 0.77 है0 कुल 2 किता की 1.29 है0 भूमि स्थित चली आ रही है, उक्त भूमि अपीलान्टा के पति सत्यनारायण के नाम दर्ज थी तथा वे उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे। अपीलान्टा के पति सत्यनारायण की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलान्टा विधवा पत्नी होने से उसके नाम नामान्तरकरण सं० 528 दिनांक 09.06.2017 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा सही रूप से इंतकाल तस्दीक किया गया। रेस्पो० का कथन है कि उक्त भूमि उसके पुत्र की भूमि है और वह उसका पिता व प्रथम श्रेणी का वारिस है पक्षकारान जाति से मीना है इस कारण महिलाओं को भूमि का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है अपीलान्टा ने दूसरा विवाह कर लिया है, इस कारण उक्त भूमि रेस्पो० के खाते दर्ज की जावे। जबकि अपीलान्टा ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है तथा उक्त भूमि की काश्त कर अपना जीवन यापन कर रही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टा के पक्ष में खोले गये नामा० को अपने निर्णय दिनांक 07.06.2024 से खारिज करते हुये अपील स्वीकार करली गयी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेरअपील कानून, न्याय एंव तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि नामा० दिनांक 09.06.2017 को पारित किया गया जिसकी जानकारी रेस्पो० को प्रारम्भ से ही थी जिसकी अपील वर्ष 2023 में पेश की गयी जो पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर अपील को मियाद में लेकर स्वीकार करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा ने अपीलान्टा के पति की मृत्यु के बाद अपीलान्टा ही एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी होने से नामा० सही रूप से खोला गया है, क्योंकि मृतक सत्यनारायण के कोई पुत्र संतान नही थी इस कारण विधवा के नाम कानूनन विधि सम्मत तरीके से इंतकाल खोला गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण को खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो० द्वारा जो दस्तावेजात ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का से बनाये है वह कूटरचित दस्तावेज मिलीभगत कर बनाये गये हैं, जिन पर विश्वास कर रेस्पो० की अपील स्वीकार कर अपीलान्टा के पक्ष मे विधि सम्मत रूप से खोले गये नामा० को खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर अपीलान्टा का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और रेस्पो० का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। उक्त भूमि अपीलान्टा की आजीविका का साधन है, जिसमें रेस्पो० का कोई हक व अधिकार व स्वत्व निहित नहीं है । इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील खारिज करना चाहिये था, ऐसा न कर इंतकाल को खारिज कर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.06.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 528 दिनांक 09.06.2017 बहाल रखा जावे।

27/5/2025
अति. स. आयुक्त

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टा के पति सत्यनारायण की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलान्टा विधवा पत्नी होने से उसके नाम नामान्तरकरण सं० 528 दिनांक 09.06.2017 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा सही रूप से इंतकाल तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटा को सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अपीलांटा पत्नी एवं एक मात्र खातेदार थी। यदि अन्य पक्षकारान को कोई अधिकार चाहिए तो वह दावे से ही प्राप्त हो सकते हैं। वादग्रस्त आराजी सत्यनारायण की क्रयशुदा भूमि है, इस कारण स्वयं की क्रयशुदा भूमि में पिता का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि नामा० दिनांक 09.06.2017 को पारित किया गया जिसकी जानकारी रेस्पो० को प्रारम्भ से ही थी जिसकी अपील वर्ष 2023 में पेश की गयी जो पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर अपील को मियाद में लेकर स्वीकार करने में त्रुटि की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 पर कोई निर्णय नहीं दिया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा ने अपीलान्टा के पति की मृत्यु के बाद अपीलान्टा ही एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी होने से नामा० सही रूप से खोला गया है, क्योंकि मृतक सत्यनारायण के कोई पुत्र संतान नही थी इस कारण विधवा के नाम कानूनन विधि सम्मत तरीके से इंतकाल खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो० द्वारा जो दस्तावेजात ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का से बनाये है वह कूटरचित दस्तावेज मिलीभगत कर बनाये गये हैं, जिन पर विश्वास कर रेस्पो० की अपील स्वीकार कर अपीलान्टा के पक्ष मे विधि सम्मत रूप से खोले गये नामा० को खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। पुनर्विवाह का प्रमाण–पत्र सरपंच द्वारा जारी किया गया। सरपंच का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। राशन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी पेश नहीं किया गया। पुनर्विवाह का प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया। मीणा जाति में पिता प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि अपीलान्टा की आजीविका का साधन है, जिसमें रेस्पो० का कोई हक व अधिकार व स्वत्व निहित नहीं है । इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील खारिज करना चाहिये था, ऐसा न कर इंतकाल को खारिज कर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.06.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 528 दिनांक 09.06.2017 बहाल रखे जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021(1) DNJ [Rev.] Page No. 502, RRD 1987 Page No. 97, RRT 2022(1) Page No. 319, 2022(2) DNJ [Rev.] Page No. 1283, 2021(2) DNJ [Rev.] Page No. 804, 2023(2) DNJ [Rev.] Page No. 1146, RBJ (28) 2021 Page No. 226, RLW 1991(2) Page No.

27/5/2025
अति. सं. आयुक्त

487, 2023(1)DNJ [Rev.] Page No. 164, 2021(4) DNJ (SC) Page No. 1046, RBJ (11) 2004 Page No. 535, RRD 1978 Page No. 432, RRT 2017 (1) Page No. 117 पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में इन्तकाल नम्बर 528 दिनांक 9.6.2017 के विरूद्ध अपील माननीय अति० जिला कलेक्टर कोटा के यहां रेस्पो० द्वारा अपील पेश की गई थी, जो कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा ग्राम रोण में स्थित खसरा नम्बर 44 की 0.52 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 47 की 0.44 हेक्टर कुल दो किता की 1.29 हेक्टर भूमि का सत्यनारायण के देहान्त दिनांक 3.6.2017 को होने के बाद दिनांक 09.06.2017 को बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के 5 दिवस के अन्दर इन्तकाल नं0 528 बिना किसी प्रकार की जांच किये ही खोल दिया गया था, उक्त इन्तकाल की अपील रेस्पो० द्वारा माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा में पेश की जिसको स्वीकार कर इन्तकाल खारिज कर दिया गया तथा उक्त इन्तकाल को मृतक सत्यनारायण के नाम वापस दर्ज किया गया जिसकी अपील अपीलान्ट सुनिता द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गई है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट कस्तूरचन्द द्वारा दिनांक 17.03.2001 को स्वयं ने जरिये इकरारनामा खरीद की थी तथा खरीद की प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि रेस्पो० कस्तूरचन्द द्वारा विक्रेता मकबूल आत्मज श्री ईलाही बख्श को अदा की है तथा उक्त खरीद की गयी गई आराजी को रेस्पो० कस्तूरचन्द ने अपने पुत्र सत्यनारायण के पक्ष में करादी थी। खरीद के समय सत्यनारायण की उम्र 15 वर्ष थी जो पूर्ण रूप से नाबालिग था तथा पूर्ण रूप से रेस्पो० पर निर्भर था मृतक सत्यनारायण की कोई आय नहीं थी और न ही उसके आय का कोई साधन ही था। इस प्रकार उक्त भूमि में सत्यनारायण का नाम मात्र दिखावटी था वास्तव में उक्त भूमि रेस्पो० कस्तूरचन्द की है, जिस पर रेस्पो० खरीद के बाद से ही उक्त भूमि पर काबिज है तथा वर्तमान मे भी रेस्पो० ही काश्त कर रहा है । इस प्रकार सत्यनारायण के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पो० कस्तूरचन्द के नाम खोला जाना चाहिये था, किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा गुपचुप तरीके से सत्यनारायण की मृत्यु के 6 दिवस के पश्चात ही बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलान्ट सुनिता के पक्ष में इन्तकाल खोल दिया, जबकि उक्त खरीद के सम्बन्ध में इकरार माननीय अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर के यहां प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के तहत पेश किया गया था, जो पत्रावली पर रिकॉर्ड पर है तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 07.06.2024 सही पारित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर मृतक सत्यनारायण द्वारा कभी काश्त नहीं की गई तथा सत्यनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्टा सुनिता द्वारा ग्राम भोरां तहसील दीगोद के जगदीश आत्मज हीरालाल के साथ पुर्नविवाह कर लिया गया है तथा वह उसी के साथ बहैसियत पत्नि के निवास कर रही है। इस कारण अपीलान्टा के समस्त हक व अधिकार वादग्रस्त भूमि में समाप्त हो चुके है। पुर्नविवाह के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भोंरा द्वारा अपीलान्टा सुनिता द्वारा किये गये विवाह का प्रमाण–पत्र भी जारी किया हुआ है, जो पत्रावली में रिकॉर्ड पर मौजूद है। उक्त सम्बन्ध पटवार मण्डल सहनावदा की असल जांच रिपोर्ट दिनांक 19.7.2023 रिकार्ड पर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय

27/5/2025
अति. स. आयुक्त

तहसीलदार पीपल्दा द्वारा सत्यनारायण की मृत्यु के बाद 5 दिवस के अन्दर बिना किसी नोटिस सूचना व सुनवाई किये ही गुपचुप तरीके से इन्तकाल खोल दिया गया, जबकि सत्यनारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम कोटा द्वारा दिनांक 30.06.2017 को जारी किया गया है। इस प्रकार हिन्दु लॉ के अनुसार विधवा पत्नि द्वारा पुर्नविवाह कर लिया जाने के पश्चात पति से जो भी मेन्टीनेन्स के रूप में सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उससे भी समस्त हक व अधिकार व हित विधवा के समाप्त हो गये हैं और न ही अपीलान्टा सुनिता स्व० सत्यनारायण की उत्तराधिकारी है, इस कारण इन्तकाल नं0 528 के सम्बन्ध में पारित आदेश जो अति० जिला कलेक्टर ने किया है वह बिलकुल सही व दुरूस्त है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1982 Page No. 332, RRD 1995 Page No. 181, RRD 1988 Page No. 61, RRD 1984 Page No. 45 पेश किये।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र.1 कस्तूरचंद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 528 दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैरअपील नामांतरकरण सं0 528 दिनांक 09.06.2017 वाके ग्राम रोण पटवार मण्डल शहनावदा तहसील पीपल्दा निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा को उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्णय दिनांक 07.06.2024 से प्रतिप्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटा को सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अपीलांटा पत्नी एवं एक मात्र खातेदार थी। यदि अन्य पक्षकारान को कोई अधिकार चाहिए तो वह दावे से ही प्राप्त हो सकते हैं। वादग्रस्त आराजी सत्यनारायण की क्रयशुदा भूमि है, इस कारण स्वयं की क्रयशुदा भूमि में पिता का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा ने अपीलान्टा के पति की मृत्यु के बाद अपीलान्टा ही एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी होने से नामा० सही रूप से खोला गया है, क्योंकि मृतक सत्यनारायण के कोई पुत्र संतान नही थी इस कारण विधवा के नाम कानूनन विधि सम्मत तरीके से इंतकाल खोला गया है। रेस्पो0 द्वारा पुनर्विवाह का प्रमाणिक दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। इसके विपरित रेस्पो0 क्र.1 का तर्क रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर मृतक सत्यनारायण द्वारा कभी काश्त नहीं की गई तथा सत्यनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्टा सुनिता द्वारा ग्राम भोरां तहसील दीगोद के जगदीश आत्मज हीरालाल के साथ पुर्नविवाह कर लिया गया है तथा वह उसी के साथ बहैसियत पत्नि के निवास कर रही है। इस कारण अपीलान्टा के समस्त हक व अधिकार वादग्रस्त भूमि में समाप्त हो चुके है। पुर्नविवाह के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भोंरा द्वारा अपीलान्टा सुनिता द्वारा किये गये विवाह का प्रमाण–पत्र भी जारी किया हुआ है, जो पत्रावली में रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस प्रकार हिन्दु लॉ के अनुसार विधवा पत्नि द्वारा पुर्नविवाह कर लिया

27/5/2025 अति. सं. आयुक्त कोटा

जाने के पश्चात पति से जो भी मेन्टीनेन्स के रूप में सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उससे भी समस्त हक व अधिकार व हित विधवा के समाप्त हो गये हैं और न ही अपीलान्टा सुनिता स्व० सत्यनारायण की उत्तराधिकारी है, इस कारण इन्तकाल नं0 528 के सम्बन्ध में पारित आदेश जो अति० जिला कलेक्टर ने किया है वह बिलकुल सही व दुरूस्त है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा को उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई का अवसर मिलना आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रिमाण्ड करने में त्रुटि नहीं होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 40/2023 (अपील) बउनवान कस्तूरचंद बनाम सुनिता वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2024 में त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

27/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा